न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता बिरौल दरभंगा

शत्रुधन मुखिया वगै0

वनाम

अनावाद बिहार सरकार एवं महिन्द्र सदा वगै0

वाद संख्या–26 / 13–14 एवं 70,72,73, / 13–14

वाद का प्रकार–वेदखली

आदेश

26.12.2013 यह वाद बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत प्रश्नगत भूमि पर वादीगण के अधिकार के प्रख्यापन के लिए दायर किया गया है। वादीगण के द्वारा जिला जनता दरवार में दिये आवेदन के आलोक में वाद संख्या–70,72,73 / 13–14 भी इस वाद के साथ संलग्न किया गया है।

प्रश्नगत भूमि का विवरण

C.C. issued By C.No-68 Dt 01-03-14

मौजा गोलमा

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
172	462	04 कट्ठा	उ0–सुरज सदा
368	511		
नया	पु0		द0–विपिन प्र0 सिंह
	521 नया		पु0–नासी
			प0–ठक्को मुखिया
खाता	**461**	**रकवा**	**चौहद्दी**
115			
पु0	465		उ0–अरूण प्र0 सिंह
45	464		
नया	पु0		द0–अन्नपुर्णा प्र0 सिंह
	280		
	पु0	18–01	पु0–नदी

	653		प0–खरीदार वो रामजी मु0
	658		
	नया		
खाता	**खेसरा**	**रकवा**	**चौहद्दी**
	461		
168	पु0		
	653		
169	नया		
		3–8–4	
	278	कनमा	चौहद्दी केवाला के अनुसार
	638 नया		
	279		
75	पु0		
	652		
340	नया		
7	465		
	464		
खाता	**खेसरा**	**रकवा**	**चौहद्दी**
7	658	2–0–0	चौहद्दी केवाला के अनुसार
	657		
7	नया		
	" "	9–0–0	केवाला के आधार पर चौहद्दी

प्रथम पक्ष का संक्षेप में कहना है कि वादी का दावा निबंधित केवाला व लगान रसीद के आधार पर दाखिल किया गया है जो वादी को वैध भूस्वामी से प्राप्त होकर दखल कब्जा में आया है। वादी का दावा है कि वादी अपने अर्जन से वादपत्र की जमीन भूस्वामी से खरीद किये है तथा भूस्वामी के नाम पुराना कागजात भी है जिस पर विचार किये जाना आवश्यक है। वादी के केवाला में प्राप्त रकवा का नया खतियान प्रतिवादी प्रथम सेट के नाम बन गया जो बिना आधार का है। वाद की जमीन सिलिंग भूदान तथा वासगीत पर्चा से अलग है जिस कारण वादी के केवाला की जमीन के नया खेसरा वादपत्र के अन्त में दिया गया है जिसका नया खतियान नाम सुधार किया जाना आवश्यक है। नया खतियान अनावाद सर्वसाधारण अंकित की जानकारी प्राप्त कर प्रतिवादी द्वितीय पक्षो वादी के

जमीन पर जबरन कब्जा कर वेदखल करने का प्रयास करते है जिस कारण स्थल पर काफी तनाव है। प्रतिवादी द्वितीय पक्ष वादी के नाम प्राप्त जमीन पर जब वादी चापाकल गाड़ रहे थे तो सभी नामित प्रतिवादी द्वितीय पक्ष उपस्थित होकर वादी के चापाकल को गाड़ने से रोक दिये जो दावा पत्र वेदखली दायर करने का आधार है।

वहीं अंचलाधिकारी का कहना है कि प्रश्नगत भूमि पुर्व में नदी थी, भरैन होकर भीठ हो गया एवं उसे भूमिहीनो/महादलितो को बन्दोबस्ती अभिलेख सं0–5/2009–10 के द्वारा आवंटित की गई है इस संदर्भ में ज्ञात हो कि प्रधान सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग पटना के ज्ञापांक 671 दिनांक 21.10.2009 एवं जिला पदाधिकारी दरभंगा के ज्ञापांक 9014 दिनांक 23.10.2009 के आलोक में महादलित परिवारो को गृहस्थल योजना अन्तर्गत प्रति परिवार 03 डि0 अधिसीमा संबंधित राजस्व कर्मचारी, अंचल निरीक्षक एवं अंचल अधिकारी से ट्रेश नक्शा के साथ स्थानीय सर्वेक्षण कर भू आवंटन का प्रस्ताव तैयार किया गया एवं वित्तरण किया गया छायाप्रति संलग्न है। प्रश्नगत स्थल पर महादलित परिवारो जिनको भूबन्दोबस्त किया गया है का दखल कब्जा वो झोपड़ी वो अधिपत्य कायम है एवं वादी इर्द गिर्द में भी नही है और न ही उन्हे सम्बद्धता है। अन्य प्रतिवादी लाभूक महादलित परिवार है वादी के नाम तथा कथित जमाबंदी वो लगान रसीद को विधानुसार निरस्त करने की प्रवृत किया गया है।

वही दुसरी तरफ विपक्षी संख्या–2 से 12 तक का संक्षेप में कहना है कि प्रतिवादीगण को पुर्वजो के समय से ही शांतिपुर्ण दखल कब्जा में चला आ रहा है जिससे वादी को कोई एलाका वो सरोकार नही है चूकि विवादी भूमि पर प्रतिवादीगण महादलीत का अवासीय मकानमय सहन के शांतिपुर्ण चला आ रहा है जहॉ तक एक ओर सरकार द्वारा महादलित को भूमि उपलब्ध करवाया जा रहा है जिसे वादी अवैध केवाला एवं फर्जी कागजात के आधार पर वेदखल एवं वेघर करने हेतु उक्त वाद पत्र दायर किये है। वादी अपने वाद पत्र में जो खतियान की प्रति संलग्न किया है उससे स्पष्ट होगा कि नदी भरण बॉध परती वगै0 है जिस

भूमि को कय विकय को कोई औचित्य नही है तो किस आधार पर वादी केवाला का दावा करते है वही दुसरी ओर पर्चाधारी के नाम उक्त भूमि का जमाबंदी चल रही है तो एक ही भूमि का वादी को भी जमाबंदी होना बिल्कुल जाल फरेबी है।

दोनो पक्षो के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना, अभिलेख एवं उपलब्ध करये गये साक्ष्यो का अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रश्नगत भूमि विभिन्न केवालाओं से प्राप्त होने के आधार पर दावा किया जा रहा है एवं साक्ष्य के रूप में केवाला की प्रति संलग्न की गई है। अंचलाधिकारी के पत्रांक 703 दिनांक 23.12.13 के माध्यम से दिये गये नक्शा एवं भूमिहीनो को आवंटित भूमि का पुराना खेसरा के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्गनत भूमि में दर्ज नया खेसरा 521 बहुत सारे पुराना खेसरा से बना है जो अनावाद बिहार सरकार है। संलग्न किये गये एवं पुराना नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत पुराना खेसरा 461, 462, 464, 465, 511 से नया खेसरा 521 बना है जो नया खतियान में अनावाद बिहार सरकार दर्ज होने के बावजुद दिनांक 21.09.11 दिनांक 04.10.10 दिनांक 08.09.2000 दिनांक 04.10. 10 एवं दिनांक 25.08.95 को विभिन्न केवालाओं के माध्यम से विक्री किया गया जो उचित नही है। जहॉतक प्रतिवादी द्वितीय पक्ष का प्रश्नगत भूमि पर दावा का प्रश्न है अंचलाधिकारी के पत्रांक 703 दिनांक 23.12.13 के माध्यम से दिये गये नक्शा एवं भूमिहीनो को आवंटित भूमि का पुराना खेसरा के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि नया खेसरा 521 अनावाद बिहार सरकार जिसके कुछ हिस्से पुराना खेसरा 283, 371, 447, 459, एवं 460 पर भूमिहीनो को पर्चा प्राप्त है न कि प्रश्नगत खेसरा पर। इससे स्पष्ट होता है कि प्रश्गनत खेसराओं पर बन्दोबस्ती पर्चा निर्गत नही हैं। अतः प्रतिवादीगण द्वितीय पक्ष का प्रश्नगत भूमि पर कोई दावा नही बनता है। यदापि प्रश्नगत पुराना खेसरा 461, 462, 464, 465, 511 के अलावे अन्य प्रश्नगत खेसराओं पर वादीगण का दावा सही प्रतीत होता है परंतु सभी केवाला जिसमें अन्य खेसराओं के साथ साथ बिहार सरकार के नाम दर्ज खेसराओं का विकय किया गया है वह स्वीकार्य नही है। इस प्रकार इस वाद में जटिल स्वत्व न्याय–निर्णित करने का संश्लिष्ट प्रश्न निहित है। अतः बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के धारा 4 (5) के आलोक में वाद की कार्यवाही बन्द

किया जाता है तथा पक्षकार उचित व्यवहार न्यायालय के समक्ष उपचारो की याचना के लिए स्वतंत्र होगें।

उपर्यूक्त निष्कर्ष के साथ इस वाद को निस्तारित किया जाता है उक्त आदेश से संबंधित पक्षो के विज्ञ अधिवक्ताओं को अवगत करा दे तथा आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चिपका दे।

लेखापति एवं संशोधित

26.12.13

भूमि सुधार उपसमाहर्ता

बिरौल

26.12.13

भूमि सुधार उपसमाहर्ता

बिरौल